



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243653
CG-DL-E-16022023-243653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944

No. 6]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

फा. सं. ए-12011/3/2022-आईडब्ल्यूटी.—भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 3 की उप-धारा 3(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, श्री विनायक आजाद, आईआरएस (सीएंडआईटी: 1995), गुंटूर आयुक्त (लेखापरीक्षा) को, विशाखापट्टनम जीएसटी ज़ोन में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के सदस्य (ट्रैफिक एंड लॉजिस्टिक्स) के रूप में, 7 वें पे-मैट्रिक्स के स्तर 14 में 6 फरवरी, 2023 के अपराहन से (03) वर्ष की अवधि के लिए, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करती है।

आर. लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2023

F. No. A -12011/3/2021-IWT.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby appoints Shri Vinayak Azaad, IRS (C&IT:1995), Commissioner of Guntur (Audit), Vishakhapatnam, GST Zone, as Member (Traffic & Logistics) in the Inland Waterways Authority of India, Noida on deputation basis in level-14 of the Seventh Central Pay Commission for a period of three years with effect from the forenoon of 6th February, 2023 for a period of three years extendable up to 5 years or until further orders, whichever is earlier.

R. LAKSHMANAN, Jt. Secy.